



प्रबन्धक, पत्रांक - 1113 / सि.वि.सि. / सञ्जना

दिनांक - 29/06/2021

सूर्य बरेश पाल स्मारक स्नातकोत्तर,
महाविद्यालय, बनकटी, बरती।

विषय : स्वयत्तपोषित योजनान्तर्गत प्राचार्य तथा स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष एवं शिक्षा के परिश्रेष्ठ, शिक्षण विषय (गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं भाषा), ललित कला एवं निष्पादन कला एवं स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा विषयों में सहायक प्रोफेसर के चयन का अनुमोदन।

महोदय,


उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक-29.06.2021 के सम्बन्ध में अवगत करना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर प्राचार्य तथा स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष एवं शिक्षा के परिश्रेष्ठ, शिक्षण विषय (गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं भाषा), ललित कला एवं निष्पादन कला एवं स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा विषयों में सहायक प्रोफेसर के चयन का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है-

क्र.सं0	पद	प्राचार्य/प्रवक्ता का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	आधार कार्ड
1	प्राचार्य	डॉ0 रत्नेश सिंह	वीरेन्द्र सिंह	01.09.1979	626135920812
2	विभागाध्यक्ष	डॉ0 महेन्द्र सिंह	अल्तू सिंह	24.03.1997	813479816198
3	शिक्षा के परिश्रेष्ठ में	श्री श्याम मूर्ति	स्व0 नकछेद	08.07.1976	852636439089
4	ललित कला	श्री आनन्द कुमार	संजय कुमार	08.02.1994	625244939169
5	शारीरिक शिक्षा	श्री विनोद कुमार	स्व0 श्याम वरायण	07.01.1981	625244939169
6	(सहायक प्रोफेसर) शिक्षण विषय	श्री धर्मेन्द्र कुमार राजमर	चन्द्रमान राजमर	05.07.1983	834904152060
7	सहायक प्रोफेसर) शिक्षण विषय	श्री उमेश प्रयाद यादव	द्वारिका प्रसाद यादव	07.08.1978	300237100486
8	सहायक प्रोफेसर) शिक्षण विषय	श्री प्रमोद कुमार	लल्लन प्रसाद	02.09.1987	499261477274
9	सहायक प्रोफेसर) शिक्षण विषय	श्री कमलेश कुमार	राम स्वास्थ्य	01.09.1984	203992814164

नोट-उपर्युक्त अभ्यर्थियों का अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों/साक्ष्यों/शपथ पत्र में दी गयी जानकारी यदि भविष्य में असत्य/भ्रामक पायी जाती है तो चयनित अभ्यर्थियों का अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा महाविद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

शर्तें-

1. महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्या: 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक: 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, फोटो सहित सविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुबंध पत्र में समयावधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
 2. शासनादेश संख्या: 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक: 11, मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन, अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
 3. अध्यापकों के लिए अशदायी भविष्य निधि (कन्द्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।
1. प्राचार्य/प्रवक्ता के चयन का अनुमोदन चयन समिति के अनुमोदन के आधार पर दिया जा रहा है। यदि अनुमोदन के उपरान्त प्रस्तुत अभिलेखों में किसी भी प्रकार की अनियमितता/त्रुटि पायी जाती है तो अभ्यर्थी का चयन/अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।


कुलसचिव